Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
March 2024 5(3), 920–928

उत्तर प्रदेश में बाल अपराध: कारण प्रभाव और समाधान की जांच

अमित कुमार वर्मा[1], डॉ महालक्ष्मी जौहरी[2]

[1] शोधार्थी, समाज शास्त्र विभाग, पी. के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी (मध्य प्रदेश)
[2] प्रोफेसर, समाज शास्त्र विभाग, डीन कला संकाय एवं छात्र कल्याण, पी. के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी (मध्य प्रदेश)

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i3.2024.3508

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

ABSTRACT

यह शोध उत्तर प्रदेश में बाल अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति, इसके कारणों, और संभावित समाधान का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। बाल अपराध, जो सामाजिक और कानूनी समस्या के रूप में उभरता है, राज्य के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को प्रभावित करता है। शोध में प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग करते हुए, बाल अपराधियों के व्यवहार, उनके सामाजिक और आर्थिक परिवेश का गहन अध्ययन किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (छब्ठ) के डेटा और उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर, इस अध्ययन में बाल अपराध की प्रवृत्तियों, प्रभावों, और निवारण के उपायों को रेखांकित किया गया है। इस शोध का उद्देश्य प्रभावी किशोर न्याय प्रणाली और पुनर्वास उपायों को बढ़ावा देना है, ताकि समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को सुधारात्मक दृष्टकोण से मुख्यधारा में वापस लाया जा सके।

Keywords: बाल अपराध, किशोर न्याय अधिनियम, पुनर्वास, सामाजिक और आर्थिक कारक, बाल सुधार गृह, गरीबी और अशिक्षा

1. परिचय

बाल अपराध वह अपराध है, जिसे कोई नाबालिग, अर्थात 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति करता है। यह सामाजिक और कानूनी समस्या है जो व्यक्तिगत, पारिवारिक, और सामुदायिक स्तर पर गहरी प्रभाव डालती है। अपराध के इस स्वरूप को समझने के लिए न केवल कानूनी दृष्टिकोण, बल्कि मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का भी अध्ययन आवश्यक है। उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के कारण, बाल अपराध की घटनाएँ यहाँ प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। राज्य में बाल अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकना एक चुनौती है, जो इसके सामाजिक और आर्थिक ढांचे को प्रभावित करता है। बाल अपराध एक वैश्विक समस्या है, जो विभिन्न देशों में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार भिन्न–भिन्न रूप में प्रकट होती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे गंभीरता से लिया जाता है, और कई देश किशोर न्याय प्रणाली और सुधारात्मक उपायों को अपनाने के लिए प्रयासरत हैं। संयुक्त राष्ट्र, अन्य वैश्विक संस्थानों और विभिन्न देशों के कानूनों ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि किशोर अपराधियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए जो न केवल उन्हें दंडित करे, बल्कि उन्हें सुधारने और समाज में पुनः स्थापित करने में सहायक हो। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता (1989) बच्चों के अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए एक व्यापक और प्रभावी अंतरराष्ट्रीय समझौता है। यह 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित किया गया था और इसे विश्व के अधिकांश देशों ने स्वीकार किया है। इस समझौते का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे को उनके जीवन, सुरक्षा, विकास और सहभागिता के अधिकार प्राप्त हों। यह समझौता चार मुख्य सिद्धांतों पर आधारित गैर–भेदभाव, बच्चे का सर्वोत्तम हित, जीवन और विकास का अधिकार, और सुनवाई का अधिकार। इसके तहत बच्चों को चार प्रमुख श्रेणियों में अधिकार प्रदान किए गए हैंरू जीवन के अधिकार, विकास के अधिकार, संरक्षण के अधिकार और सहभागिता के अधिकार। समझौते के तहत प्रत्येक बच्चे को भोजन, स्वास्थ्य, और आवास जैसी बुनियादी आवश्यकताएँ उपलब्ध कराना, उन्हें शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर

देना, तथा उन्हें शोषण, हिंसा और बाल श्रम से बचाना शामिल है। अनुच्छेद 6 हर बच्चे को जीवन जीने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 28 और 29 शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। अनुच्छेद 19 बच्चों को सभी प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करता है। इस समझौते का वैश्विक प्रभाव बहुत व्यापक रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से कई देशों ने अपने कानूनों और नीतियों में बच्चों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यह समझौता बाल अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें सुरक्षित रखने में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। बीजिंग नियम (1985) बीजिंग नियम, जिन्हें षकिशोर न्याय के लिए संयुक्त राष्ट्र के न्यूनतम मानक कहा जाता है, 29 नवंबर 1985 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए थे। इन नियमों का उद्देश्य किशोर न्याय प्रणाली में सुधार लाना और बाल अपराधियों के साथ मानवीय और सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाना है। यह नियम किशोर अपराधियों के अधिकारों की रक्षा करने, उनके पुनर्वास को प्रोत्साहित करने और उन्हें समाज में पुनः एकीकृत करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। बीजिंग नियम इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि किशोर अपराधियों के मामलों में कठोर दंड के बजाय सुधारात्मक और पुनर्वास उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इन नियमों के तहत किशोर अपराधियों के लिए न्याय प्रणाली को बाल–हितैषी बनाया गया है, जो उनके अधिकारों, आवश्यकताओं और उनके भविष्य को ध्यान में रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि किशोरों के मामलों को गोपनीय रखा जाए और उन्हें सामाजिक भेदभाव या कलंक से बचाया जाए। बीजिंग नियम यह सिफारिश करते हैं कि किशोर न्याय प्रणाली अपराध की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करे और अपराधियों को पुनर्वास केंद्रों, परामर्श कार्यक्रमों और सामुदायिक सेवाओं के माध्यम से सुधारने की व्यवस्था करे। यह नियम पुलिस, न्यायाधीशों, और अन्य अधिकारियों को किशोरों के साथ सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किशोर न्याय प्रणाली बच्चों के सर्वोत्तम हित में काम करे और उन्हें अपराध से दूर रखने के साथ–साथ उनकी गरिमा और अधिकारों का भी संरक्षण करे। बीजिंग नियम, बाल अधिकारों की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश हैं और आज भी किशोर न्याय प्रणाली के विकास और सुधार में एक मानक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। हवाना नियम (1990) हवाना नियम, जिन्हें ष्संयुक्त राष्ट्र के किशोर स्वतंत्रता से वंचित व्यक्तियों के लिए नियम कहा जाता है, 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए थे। इन नियमों का उद्देश्य उन किशोरों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करना है, जिन्हें किसी अपराध के कारण हिरासत में रखा गया है। यह नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि किशोरों के साथ स्वतंत्रता से वंचित करने की प्रक्रिया में मानवीय, न्यायसंगत और सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाए। हवाना नियम इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि किसी किशोर को केवल अंतिम उपाय के रूप में और न्यूनतम अवधि के लिए हिरासत में रखा जाना चाहिए। यह नियम किशोरों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान करते हैं। हिरासत केंद्रों में किशोरों को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, चिकित्सा सुविधा और परामर्श का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि उनका पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण हो सके। हवाना नियम यह भी सिफारिश करते हैं कि किशोरों को उनके परिवार से संपर्क बनाए रखने दिया जाए और उनके साथ ऐसा कोई व्यवहार न किया जाए जो उनकी गरिमा को ठेस पहुँचाए। इसके अलावा, इन नियमों के तहत किशोरों के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा, दुर्व्यवहार या अमानवीय व्यवहार को सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। यह नियम किशोर न्याय प्रणाली में सुधार लाने और उन्हें जेल जैसे कठोर दंडात्मक माहौल से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण दिशानिर्देश हैं। हवाना नियम किशोर अपराधियों के साथ संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक प्रदान करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि किशोर अपराधियों को सुधार और पुनर्वास का अवसर मिले, ताकि वे अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें और समाज का जिम्मेदार सदस्य बन सकें। टोक्यो नियम टोक्यो नियम इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि स्वतंत्रता से वंचित करने वाली सजा (जैसे जेल) को अंतिम उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके बजाय, न्यायिक प्रणाली को ऐसे उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो अपराधियों को सुधारने और समाज में पुनः एकीकृत करने में मदद करें। इन उपायों में सामुदायिक सेवा, परामर्श, निगरानी, माफी, और पुनर्वास कार्यक्रम जैसे विकल्प शामिल हैं।

इन नियमों के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि गैर–आवसीय उपाय न्यायसंगत, पारदर्शी और मानवाधिकारों के अनुकूल हों। यह सुनिश्चित किया गया है कि इन उपायों के दौरान अपराधियों की गरिमा और उनके मूल अधिकारों का पूरा सम्मान किया जाए। साथ ही, टोक्यो नियम यह सिफारिश करते हैं कि इन उपायों का उपयोग अपराध की प्रकृति, अपराधी की पृष्ठभूमि, और अपराध की परिस्थितियों के आधार पर किया जाए। टोक्यो नियम समाज पर जेल प्रणाली के बोझ को कम करने और अपराधियों के लिए एक सकारात्मक और उत्पादक विकल्प प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन हैं। ये नियम विशेष रूप से किशोर अपराधियों के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि वे उन्हें जेल के कठोर वातावरण से बचाने और सुधारात्मक मार्ग पर ले जाने में मदद करते हैं। टोक्यो नियम न्याय प्रणाली को अधिक मानवीय और प्रभावी बनाने के लिए एक वैश्विक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करते हैं और अपराध रोकथाम और पुनर्वास के लिए एक संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की वकालत करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिकारू संयुक्त राज्य अमेरिका में किशोर न्याय प्रणाली एक संरचित और प्रभावी प्रणाली है, जो मुख्य रूप से किशोर अपराधियों के सुधार और पुनर्वास पर केंद्रित है। यह प्रणाली अपराध के प्रकार, किशोर की उम्र, और उसकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई है। अमेरिका में प्रत्येक राज्य की अपनी किशोर न्याय प्रणाली है, लेकिन सभी राज्यों में प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत समान हैं।

2. राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

भारत में किशोर न्याय प्रणाली का उद्देश्य किशोर अपराधियों के साथ संवेदनशील और सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाना है। भारत में किशोर न्याय प्रणाली षकिशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत संचालित होती है। यह अधिनियम उन बच्चों और किशोरों पर लागू होता है जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं और किसी अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं। इसका मुख्य फोकस सजा देने के बजाय पुनर्वास और सुधार पर है। यह अधिनियम किशोरों के अपराधों को उनकी प्रकृति के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित करता हैरू छोटे अपराध, गंभीर अपराध, और जघन्य अपराध। छोटे और गंभीर अपराधों के मामलों में किशोरों को सुधारात्मक केंद्रों में रखा जाता है, जबकि जघन्य अपराधों के मामलों में किशोर न्याय बोर्ड यह निर्णय लेता है कि उन्हें वयस्कों की तरह मुकदमे का सामना करना होगा या नहीं। भारत में किशोर अपराधियों के लिए विशेष बाल देखभाल संस्थान और पुनर्वास केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ उन्हें शिक्षा, परामर्श, और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस अधिनियम के तहत बच्चों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, और विशेष न्यायालयों की व्यवस्था की गई है।

भारत में किशोर अपराधों के प्रमुख कारणों में गरीबी, शिक्षा की कमी, परिवारिक समस्याएँ, और नशे की लत शामिल हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार और गैर–सरकारी संगठन सामूहिक रूप से जागरूकता अभियान, काउंसलिंग, और पुनर्वास कार्यक्रम चलाते हैं। हालांकि, भारत की किशोर न्याय प्रणाली को संसाधनों की कमी, सामाजिक पूर्वाग्रह, और कानूनी प्रक्रियाओं में देरी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद, यह प्रणाली किशोर अपराधियों को सुधारने और समाज में सकारात्मक योगदान देने वाले नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसका उद्देश्य अपराध की पुनरावृत्ति को रोकते हुए बच्चों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करना है। भारत में बाल अपराध पर श्रनअमदपसम श्रनेजपबम ।बज, 2015 लागू है, जो नाबालिगों के लिए सुधारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। डपीतं (2018) के शोध ने दिखाया कि भारत में बाल अपराध का मुख्य कारण गरीबी और अशिक्षा है।

3. शोध की कार्यप्रणाली

शोध की कार्यप्रणाली किसी भी अध्ययन का आधार होती है, जो उसके निष्कर्षों की सटीकता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है। इस अध्याय में अध्ययन क्षेत्र, डेटा संग्रहण तकनीक, और विश्लेषण प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई है। यह शोध उत्तर प्रदेश में बाल अपराध के बढ़ते मामलों के कारणों और समाधान का गहन अध्ययन करने के लिए तैयार किया गया है।

3.1. अध्ययन क्षेत्र

इस शोध के लिए लखनऊ को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया है। उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ, बाल अपराधों की घटनाओं में प्रमुख स्थान रखता है।

3.2. महत्वपूर्ण तथ्य

लखनऊ में 2020–2023 के बीच बाल अपराध के मामलों में 15ः की वृद्धि हुई है।

3.3. शोध डिजाइन

इस अध्ययन में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों शोध दृष्टिकोण अपनाए गए हैं।

3.4. डेटा संग्रहण की विधियाँ

3.4.1. प्राथमिक डेटा

बाल अपराधियों, उनके परिवारों, और बाल सुधार गृह के अधिकारियों से साक्षात्कार।
उत्तर प्रदेश के चयनित जिलों में बाल अपराध के मामलों पर सर्वेक्षण।
बाल सुधार गृहों में जीवनशैली, व्यवहार और काउंसलिंग प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अध्ययन।

3.4.2. द्वितीयक डेटा

रिपोर्ट और सरकारी दस्तावेज।
पूर्व शोध पत्र और साहित्य।
समाचार पत्र और पत्रिकाओं से जुड़े आँकड़े।

3.5 डेटा विश्लेषण की विधियाँ

3.5.1. मात्रात्मक डेटा का विश्लेषण

आँकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण।
ग्राफ, चार्ट और आँकड़ों के माध्यम से रुझानों का प्रस्तुतीकरण।

3.5.2. गुणात्मक डेटा का विश्लेषण

साक्षात्कार और सर्वेक्षण के उत्तरों का विषय–आधारित विश्लेषण।
भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं की गहन व्याख्या।

3.6 अनुसंधान की सीमाएँ

अपराधियों और उनके परिवारों के साथ साक्षात्कार में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की कमी।
बाल सुधार गृहों के अधिकारियों के साथ डेटा साझा करने में पारदर्शिता की कमी।

4. बाल अपराध का विश्लेषण

लखनऊ में बाल सुधार गृहों में रहने वाले बच्चों की स्थिति पर विस्तृत और अद्यतित सर्वेक्षण डेटा की सार्वजनिक उपलब्धता सीमित है। हालाँकि, उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए विभिन्न पहल कर रही है। मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के तहत, गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या

सहित 10 जिलों में नए बाल संरक्षण गृहों की स्थापना की जा रही है, जहाँ प्रत्येक गृह में 100 बच्चों के रहने की क्षमता होगी। इन गृहों में बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के साथ–साथ उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय में निगरानी के लिए ऐप विकसित किया है। इस ऐप के माध्यम से बाल देखभाल गृहों की निगरानी और निरीक्षण प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बाल गृह, संप्रेक्षण गृह और दत्तक ग्रहण इकाइयों में रहने वाले सभी बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराया जाए, ताकि वे नियमित शिक्षा प्राप्त कर सकें और समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। हालाँकि, लखनऊ के बाल सुधार गृहों में रहने वाले बच्चों के विशिष्ट आँकड़े और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित सरकारी विभागों, जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग, या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से संपर्क करना उचित होगा। ये संस्थाएँ समय–समय पर बाल संरक्षण गृहों की स्थिति पर रिपोर्ट जारी करती हैं, जो अधिक सटीक और अद्यतित जानकारी प्रदान कर सकती हैं।

4.1. किशोरों के व्यवहार और उनके वातावरण का अवलोकन

चित्र. 1 में चार आयु समूह दिए गए हैं, उनके अनुसार किशोरों की संख्या और प्रतिशत का विवरण दिया गया है। 12 वर्ष से कम (30 किशोर) यह आयु समूह किशोरों की कुल संख्या का सबसे छोटा हिस्सा है। इसका अर्थ यह है कि छोटे बच्चों में अपराध की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। 12–15 वर्ष (70 किशोर) इस आयु समूह में किशोरों का प्रतिशत थोड़ा अधिक है, जो यह संकेत देता है कि यह वह समय है जब बच्चे बाहरी प्रभावों से प्रभावित हो सकते हैं।

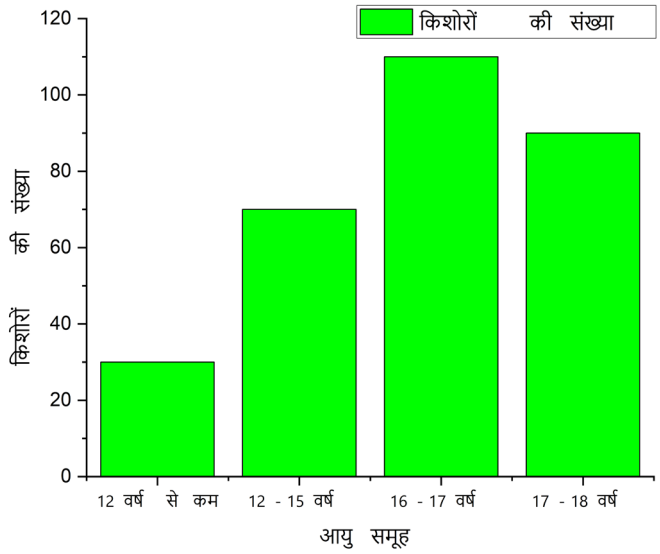

चित्र 1. आयु समूह विवरण

16–17 वर्ष (110 किशोर) यह आयु समूह सबसे बड़ा है और कुल किशोरों का लगभग 37: हिस्सा है। यह दर्शाता है कि किशोरावस्था के इस चरण में अपराध की प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। 17–18 वर्ष (90 किशोर) यह भी एक महत्वपूर्ण समूह है, जहाँ किशोर अपने वयस्क जीवन के करीब होते हैं और सामाजिक दबाव के कारण अपराध में शामिल हो सकते हैं।

सबसे अधिक किशोर अपराध 16–17 वर्ष के आयु वर्ग में देखने को मिलते हैं। यह उम्र संवेदनशील है और इसे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से मार्गदर्शन की अधिक आवश्यकता होती है। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि किशोरों के साथ जागरूकता, शिक्षा और काउंसलिंग के माध्यम से इन प्रवृत्तियों को कम किया जा सकता है।

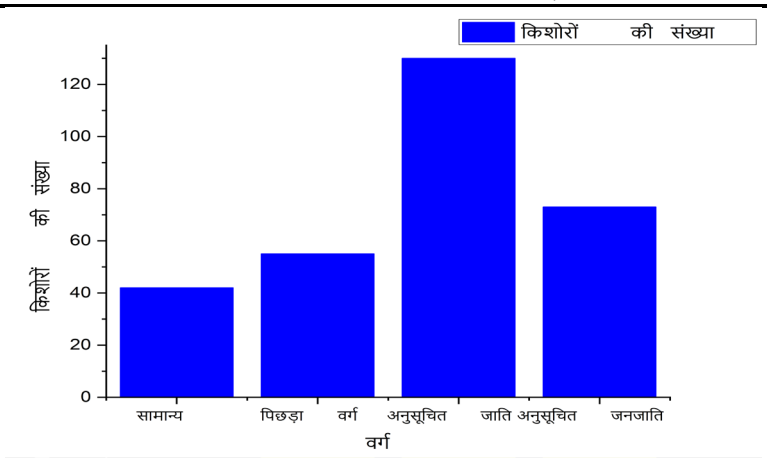

चित्र 2. वर्ग विवरण

चित्र 2. वर्ग विवरणचित्र. 2 विभिन्न आयु वर्गों के किशोरों की संख्या और उनके प्रतिशत को चार श्रेणियों में दर्शाती है सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति। सामान्य वर्ग श्रेणी में 42 किशोर हैं, जो कुल का 14.00: है। यह दर्शाता है कि सामान्य वर्ग का योगदान अन्य वर्गों की तुलना में सबसे कम है। पिछड़ा वर्ग में 55 किशोर शामिल हैं, जो कुल संख्या का 18.33: है। पिछड़े वर्ग के किशोरों की संख्या सामान्य वर्ग से अधिक है, लेकिन फिर भी यह औसत से कम है। अनुसूचित जाति के किशोरों की संख्या सबसे अधिक है, जो 130 है और यह कुल संख्या का 43.33 है। यह दर्शाता है कि इस वर्ग का योगदान सभी श्रेणियों में सबसे अधिक है। अनुसूचित जनजाति में 73 किशोर हैं, जो कुल संख्या का 24.33: है। यह श्रेणी किशोरों की संख्या के मामले में अनुसूचित जाति के बाद दूसरे स्थान पर है। कुलरू सभी श्रेणियों को मिलाकर कुल 300 किशोर हैं। इस आंकड़े से विभिन्न वर्गों के किशोरों का प्रतिनिधित्व स्पष्ट होता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का योगदान अन्य वर्गों की तुलना में अधिक है, जो समाज के पिछड़े वर्गों की व्यापक भागीदारी को दिखाता है। यह तालिका समाज के विभिन्न वर्गों के किशोरों की भागीदारी में असमानता को दर्शाती है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों में किशोरों का अनुपात अधिक है, जबकि सामान्य और पिछड़े वर्गों में यह कम है। इस प्रकार के आंकड़े नीतियों और योजनाओं को तैयार करने में सहायक हो सकते हैं, ताकि सभी वर्गों के विकास को सुनिश्चित किया जा सके। चित्र. 3 लिंग के आधार पर किशोरों की संख्या और उनके प्रतिशत को दर्शाती है। इसमें पुरुष और महिला वर्ग का तुलनात्मक विवरण दिया गया है। पुरुष किशोरों की संख्या 208 है, जो कुल किशोरों का 69.33: है। यह स्पष्ट करता है कि पुरुष किशोरों की संख्या महिलाओं की तुलना में काफी अधिक है। महिला किशोररू महिला किशोरों की संख्या 92 है, जो कुल संख्या का 30.67: है। यह दर्शाता है कि महिला किशोरों का प्रतिनिधित्व पुरुषों की तुलना में लगभग आधे से भी कम है। यह तालिका लिंग के आधार पर असमानता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। पुरुष किशोरों की संख्या महिला किशोरों की तुलना में काफी अधिक है। यह असमानता शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं या अन्य सामाजिक कारणों से हो सकती है। इस प्रकार की जानकारी का उपयोग महिला सशक्तिकरण और उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। इससे समाज में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।

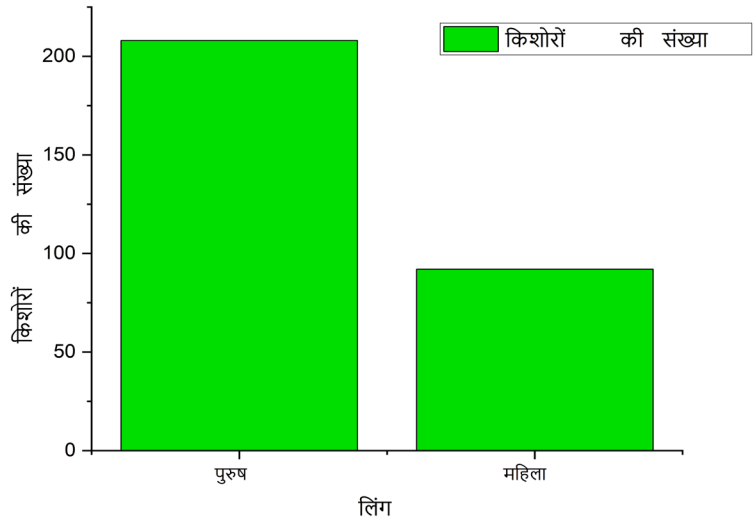

चित्र 3. लिंग विवरण

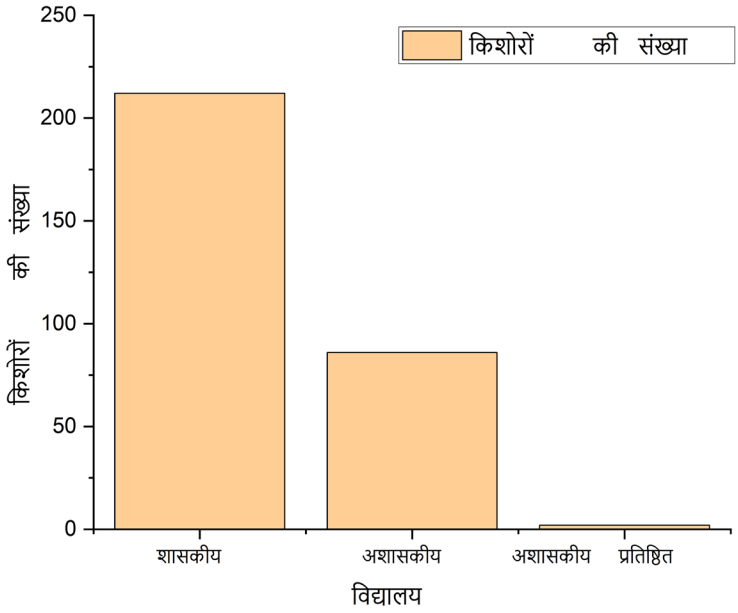

चित्र 4. विद्यालय विवरण

चित्र. 4 विद्यालय के प्रकार के आधार पर किशोरों की संख्या और उनके प्रतिशत को दर्शाती है। इसमें सरकारी, अशासकीय, और अशासकीय प्रतिष्ठित विद्यालयों के किशोरों की संख्या का विवरण दिया गया है। शासकीय विद्यालयों में 212 किशोर पढ़ते हैं, जो कुल संख्या का 70.67: है। यह दिखाता है कि अधिकतर किशोर सरकारी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह संभवतः सरकारी विद्यालयों की पहुंच और कम लागत के कारण हो सकता है। अशासकीय विद्यालयों में 86 किशोर पढ़ते हैं, जो कुल संख्या का 28.67: है। अशासकीय विद्यालयों में छात्रों की संख्या शासकीय विद्यालयों की तुलना में काफी कम है, जो फीस या अन्य कारणों से हो सकता है। अशासकीय प्रतिष्ठित विद्यालयों में केवल 2 किशोर पढ़ते हैं, जो कुल संख्या का 0.67: है। यह इस प्रकार के विद्यालयों में किशोरों की बहुत कम भागीदारी को दर्शाता है, संभवतः इनकी उच्च लागत या अन्य सीमित पहुंच के कारण। यह तालिका स्पष्ट रूप से दिखाती है कि शासकीय विद्यालयों में किशोरों का प्रतिनिधित्व अन्य विद्यालयों की तुलना में बहुत अधिक है। अशासकीय और प्रतिष्ठित विद्यालयों में कम भागीदारी उनकी उच्च लागत, सीमित पहुंच, या अन्य कारकों को दर्शा सकती है। इस डेटा से यह समझा जा सकता है कि शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि यह सभी के लिए और अधिक उपयोगी और समावेशी बन सके। वहीं, अशासकीय विद्यालयों की भूमिका को संतुलित करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है। प्राथमिक शिक्षा पर अधिक जोररू तालिका से स्पष्ट है कि अधिकांश किशोर केवल प्राथमिक स्तर (कक्षा 5) तक ही पढ़ाई कर रहे हैं। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रों की संख्या में कमी चिंता का विषय है। 15.67: किशोर शिक्षा से वंचित हैं। यह दर्शाता है कि शिक्षा के प्रसार और सुलभता में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के स्तर पर छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष योजनाओं और सुविधाओं की आवश्यकता है। इसके अलावा, अशिक्षित किशोरों को शिक्षित करने के लिए समर्पित कार्यक्रम शुरू करने की जरूरत है।

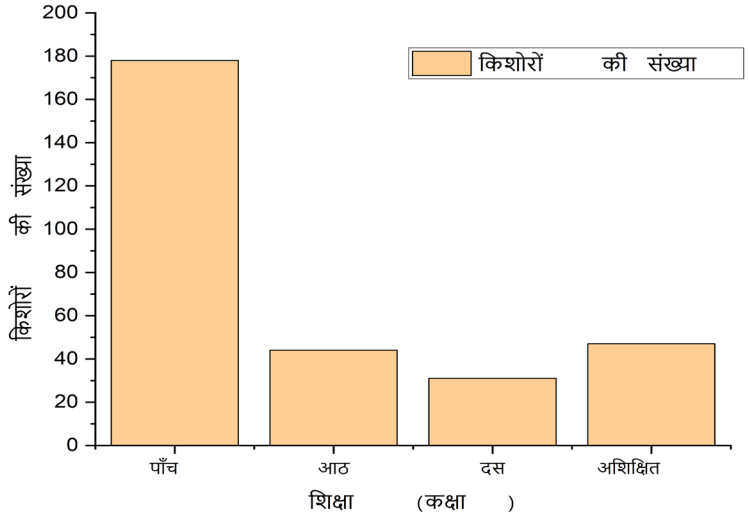

चित्र 5. शिक्षा (कक्षा) विवरण

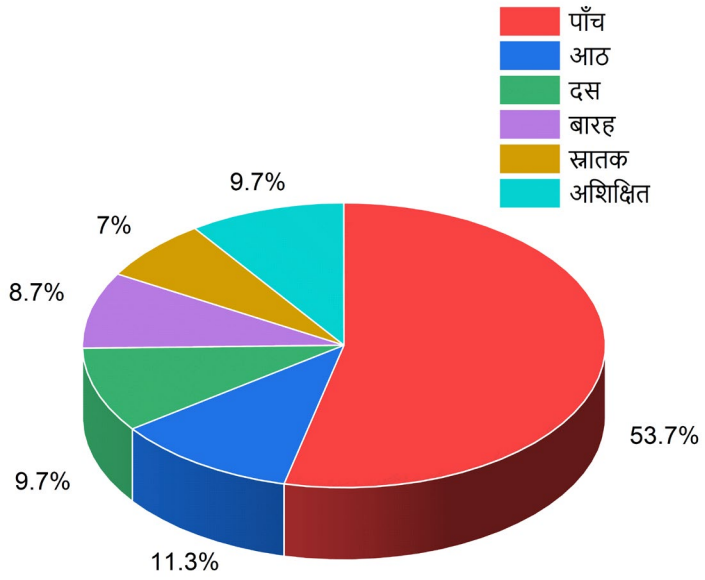

चित्र 6 पिता की शिक्षा ;कक्षा विवरण

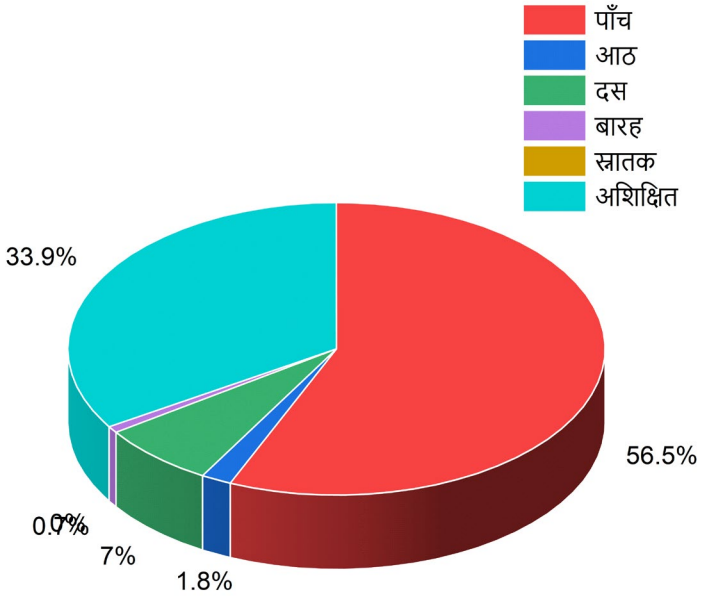

चित्र 7. माता की शिक्षा (कक्षा) विवरण

पिता की तुलना में माताएँ शिक्षा के मामले में अधिक अशिक्षित हैं (7.00: बनाम 30.67:)। माता और पिता दोनों में से अधिकांश केवल कक्षा 5 तक शिक्षित हैं। यह दर्शाता है कि शिक्षा का यह तालिका दर्शाती है कि माता–पिता दोनों के शिक्षा स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से, माताओं की शिक्षा में सुधार करने से किशोरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि माताओं की शिक्षा का बच्चों की शिक्षा और जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। यह आंकड़ा नीतिगत हस्तक्षेप के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है, जैसे कि वयस्क शिक्षा कार्यक्रम और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के प्रयास। 29 किशोरों के पिता बढ़ई का कार्य करते हैं, जो कुल का 9.67: है। यह दर्शाता है कि यह पेशा अल्पसंख्या में है। 147 किशोरों के पिता मजदूर हैं, जो कुल का 49.00: है। यह सबसे बड़ी श्रेणी है, जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का संकेत देती है। 19 किशोरों के पिता प्लंबर हैं, जो कुल का 6.33: है। 15 किशोरों के पिता ठेला खींचने का कार्य करते हैं, जो कुल का 5.00: है। 61 किशोरों के पिता रिक्शा चालक हैं, जो कुल का 20.33: है। 29 किशोरों के पिता बेरोजगार हैं, जो कुल का 9.67: है। यह समाज में बेरोजगारी की स्थिति को दर्शाता है।

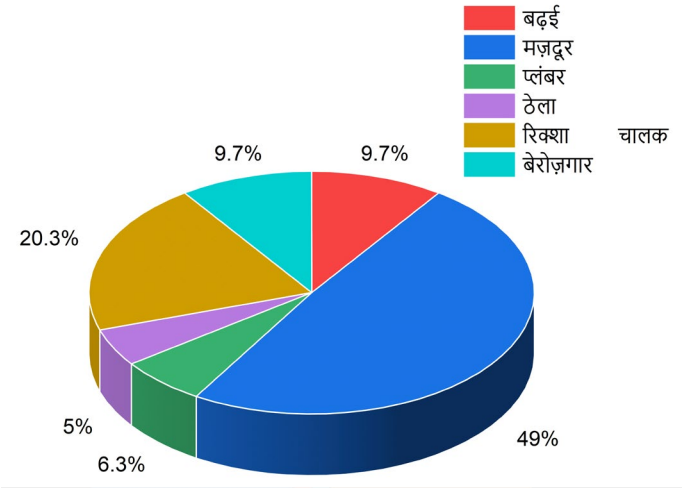

चित्र 8. पिता की नौकरी विवरण

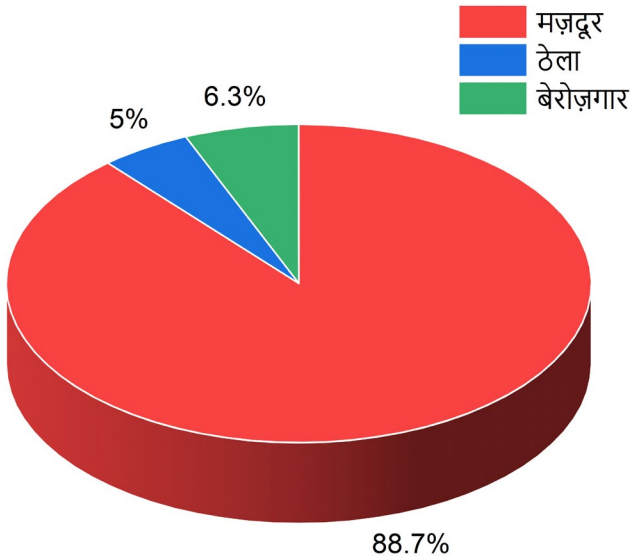

चित्र 9. माता की नौकरी विवरण

266 किशोरों की माताएँ मजदूरी का कार्य करती हैं, जो कुल का 88.67: है। यह दर्शाता है कि अधिकांश माताएँ मजदूरी पर निर्भर हैं। 15 किशोरों की माताएँ ठेला खींचने का कार्य करती हैं, जो कुल का 5.00: है। किशोरों की माताएँ बेरोजगार हैं, जो कुल का 6.33: है। यह बताता है कि कुछ माताएँ भी रोजगार से वंचित हैं। पिता और माताओं दोनों में मजदूरी का कार्य प्रमुख है। लेकिन माताओं के बीच मजदूरी का प्रतिशत (88.67:) बहुत अधिक है, जो उनके सीमित पेशेवर विकल्पों को दर्शाता है। पिता (9.67:) की तुलना में माताएँ (6.33:) थोड़ा कम बेरोजगार हैं। पिता के पेशों में विविधता अधिक है, जैसे बढ़ई, प्लंबर, रिक्शा चालक आदि, जबकि माताओं के पेशे मजदूरी और ठेला तक सीमित हैं। यह चित्र दिखाती है कि माता–पिता के पेशे मुख्यतः निम्न–आय और मेहनतकश कार्यों पर आधारित हैं। माताओं का काम ज्यादातर मजदूरी तक सीमित है, जबकि पिता के पास थोड़ी अधिक विविधता है। इस स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं

महिलाओं को पेशेवर प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएँ।
परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए श्रमिकों के अधिकार और वेतन वृद्धि सुनिश्चित की जाए।
बच्चों और उनके माता–पिता दोनों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जाएँ।

5. निष्कर्ष

शोध से यह स्पष्ट हुआ कि उत्तर प्रदेश में बाल अपराध मुख्यतः गरीबी, अशिक्षा, पारिवारिक समस्याओं और नशीली दवाओं के उपयोग जैसे कारणों से प्रेरित हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किशोरों में अपराध की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक पाई गई। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रभावी कार्यान्वयन और सरकारी पुनर्वास योजनाओं के बावजूद, संसाधनों की कमी और सामाजिक पूर्वाग्रह इस समस्या के समाधान में बाधा बने हुए हैं। बाल अपराध की रोकथाम के लिए आवश्यक है कि शिक्षा, कौशल विकास, और परामर्श को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही, परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार और सामाजिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से बच्चों के विकास के लिए एक समावेशी और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया जाए।

CONFLICT OF INTERESTS

None.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

संदर्भ

मिश्रा, ए. (2018). ष्भारत में बाल अपराधरू कारण और रोकथाम।ष् भारतीय अपराधशास्त्र पत्रिका, 44(3), 123–135।
शर्मा, पी. (2017). ष्उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाल अपराध की तुलनात्मक अध्ययन।ष् सामाजिक शोध और विकास पत्रिका, 12(2), 67–78।
गुप्ता, आर. (2020). ष्उत्तर प्रदेश के बाल सुधार गृहों की स्थिति और पुनर्वास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता।ष् भारतीय समाजशास्त्र पत्रिका, 15(1), 89–102।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (छब्त्ठ). (2022). ष्भारत में अपराधरू वार्षिक रिपोर्ट।ष् नई दिल्लीरू गृह मंत्रालय।
सैनी, के. (2019). ष्भारत में किशोर न्याय प्रणाली और इसके प्रभाव।ष् कानूनी और सामाजिक अध्ययन पत्रिका, 10(4), 45–60।
कश्यप, वी. (2018). ष्उत्तर प्रदेश में बाल अपराधों का सांख्यिकीय विश्लेषण।ष् अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान पत्रिका, 7(3), 34–47।
बाल अधिकार संरक्षण आयोग (छब्ब्ब्). (2020). ष्भारत में बाल देखभाल संस्थानों की स्थिति।ष् नई दिल्लीरू महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
यादव, ए. (2021). ष्बाल अपराध रोकने में शिक्षा और काउंसलिंग की भूमिका।ष् मानव व्यवहार और विकास पत्रिका, 14(2), 78–92।
चतुर्वेदी, एस. (2020). ष्भारत में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 का कार्यान्वयन।ष् कानूनी और सामाजिक अध्ययन पत्रिका, 12(5), 55–70।
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (प्ैत्). (2022). ष्उत्तर प्रदेश में बाल अपराध पर रिपोर्ट।ष् नई दिल्लीरू प्ैत् प्रकाशन।